जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर
27/2016

अपील सूचना अधिकार संख्या 27/2016 अनवानी श्री राधेश्याम गोयल पुत्र स्व0 श्री भगवानदास गोयल जाति अग्रवाल निवासी 23 के ब्लॉक, श्रीगंगानगर बनाम जिला निर्वाचन अधिकारी, श्रीगंगानगर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

09–01–2017

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी श्री राधेश्याम गोयल उपस्थित नही है। लोक सूचना अधिकारी के प्रतिनिधि उपस्थित नही है। पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी ने अपने सूचना के अधिकार अधिनियम के आवेदन पत्र दिनांक 14.01.2015 के द्वारा लोक जिला निर्वाचन अधिकारी श्रीगंगानगर से निम्न सूचनांए चाही थी:–

आपका पत्रांक 26972 दिनांक 31.12.2015 की 10वी लाईन में यह तथ्य अंकित किये है इस्तगासा तहसीलदार श्रीगंगानगर द्वारा संबंधीत राजकीय अभिभाषक से सलाह मशविरा करके दर्ज करवाया गया है।

1. इस्तगासा तहसीलदार, श्रीगंगानगर द्वारा जिस संबंधित राजकिय अभिभाषक से सलाह मशविरा करके दर्ज करवाया गया है, उस तहसीलदार का नाम व जिस राजकीय राजकीय अभिभाषक से सलाह सशविरा करके दर्ज करवाया गया है उस राजकीय अभिभाषक का नाम, पद व उसकी हस्तलिखित सलाह व मशविरो जो दी गई है उसकी सूचना व सलाह मशविरा की प्रमाणित प्रतिलिपि।
2. जिस दिवस इस्तगासा पेश किया गया उस तारीख की सूचना व प्रमाणित प्रतिलिपि।
3. इस्तगासा न्यायालय में दायर करने से लेकर तहसीलदार श्रीगंगानगर जिस–2 दिवस न्यायालय में कार्यवाही हेतु साक्ष्य देने हेतु उपस्थित हुए उस दिवस की तहसीलदार साहब के हस्तलिखित पत्र की सूचना व प्रमाणित प्रतिलिपि।

3ए. मुख्य निर्वाचन अधिकारी, निर्वाचन विभाग राज0 जयपुर के पत्रांक 3169 दिनपांक 14.08.15 व 4626 दिनांक 08.12.15 की प्रमाणित प्रतिलिपि।

4. तारीख पेशी 16.01.2016 की प्रमाणित प्रतिलिपि। जिस राजकिय अभिभाषक से सलाह मशविरा करके इस्तगासा न्यायालय में पेश किया गया, उसकी हस्तलिखित सूचना की, इस्तगासा दायर करने के बाद न्यायालय में सरसरी सबूत हेतू तहसीलदार उपस्थित हुए।
5. उपरोक्त पांक की तेरहवी लाईन में अंकित तथ्य कि "इस्तगासा को सिद्ध करने का भार परिवादी /अभियोजन पर है, इस्तगासा विचाराधीन है।

परिवादी/अभियोजन के उन गवाहो व अधिकारियों का नाम व पता व पद जिन्हें इस्तगासा को सिद्ध करना है।

6. इस्तगासा जिस स्तर पर अन्वेषणधीन है उसकी सूचना व इस्तगासा की प्रमाणित प्रतिलिपि।
7. पत्रांक 26972 दिनांक 31.12.2015 की 15वी लाईन में अंकित तथ्य कि "अन्वेषण अधिकारी द्वारा मामला सिद्ध पाया जाने पर सक्षम अधिकारिता वाले के समस्त चालान पेश किया जायेगा।

अन्वेषण अधिकारी का नाम व पद की सूचना व जिस स्तर पर अन्वेषण चल रहा है व जिस स्तर पर अन्वेषण बकाया है उसकी सूचना व प्रमाणित प्रतिलिपि। मामला सिद्ध पाया जाने पर जिस नियम में पेश किया जायेगा उसकी सूचना व नियम की प्रमाणित प्रतिलिपि।

8. उपरोक्त पत्रांक के अन्तिम लाईन में अंकित तथ्य कि "प्रार्थी श्री राधेश्याम द्वारा लगाये गये आरोप निराधार व मनगढ़ंत है"

जो तथ्य प्रार्थी के निराधार व मनगढ़ंत है उन आरोप/तथ्यो की सूचना व नियम की विभागीय व अधिनियम की प्रतिलिपि जिन अधिनियम की जिस धारा के अन्तर्गत प्रार्थी के तथ्य निराधार व मनगढ़ं साबित होते है।

9.उपरोक्त पत्रांक की दूसरी लाईन से लेकर 8वी लाईन तक में तथ्य अंकित किये है:–

" विधान सभाग चुनाव 2013 के दौरान भाग संख्या 80 में नियुक्त बी.एल.ओ. श्री सुभाषचन्द गोयल द्वारा उसके परिवार की पर्चिया स्वयं न बांटकर बाल श्रमिक से बंटवाने बाबत एक शिकायत प्रस्तुत की गयी थी। इस संबंध में संबंधित सेक्टर ऑफिसर श्री एम. एल.पंवार द्वारा अवगत करवाया गया कि बी.एल.ओ. ने उनको अवगत कराया कि श्री राधेश्याम गोयल के साथ विवाद होने के कारण उसके द्वारा संभव नही हो पायेगा। इसी

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

P.T.O.

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर
27/2016

कारण उसके द्वारा टाईपिंग इन्स्टीटयूट के विद्यार्थी के साथ मतदाता पर्चियां श्री राधेश्याम गोयल के धर भिजवा दी। इसी तरह संबंधित पत्रावली में जितने भी तथ्य उपलब्ध में उनके आधार पर इस्तगासा, तहसीलदार श्रीगंगानगर द्वारा संबंधित राजकीय अभिभाषक से सलाह मशविरा करके दर्ज करवाया गया है उपवरोक्त पत्र में "वर्णित तथ्यो के बारे में नियम सूचनांए उपलब्ध करायी जावे।"

(क) प्रार्थी की शिकायत की प्रमाणित प्रतिलिपि।

(ख) सेक्टर ऑफिसर श्री एम.एल.पंवार के हाथ की पत्र की स्वीकारिक्ति की विवाद जो या ग्रास विवाद की प्रमाणित प्रतिलिपि तथ्यों सहित।

(ग) विवाद होने की स्थिति में बी.एल.ओ. पर्ची किसी मतदाता के घर पर नही जायेगा। इस संबंध में भारत निर्वाचन आयोग द्वारा पर्ची वितरण करने बाबत मना किया हो उस नियम की सूचना व नियम की प्रमाणित प्रतिलिपि।

(घ) उपरोक्त नियम न होने की स्थिति में बी.एल.ओ. द्वारा जानबूझकर पर्ची प्रार्थी के घर वितरित नही की। जिसके लिए वह जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 32 व 1951 की धारा 136 में दण्डनीय अपराध है। इस बाबत सूचना व धारा 32 व 136 की प्रमाणित प्रतिलिपि।

(ड़) बी.एल.ओ. द्वारा किसी कार्य के न करने की स्थिति में उसकी सूचना उसी समय स्वयं नही करने, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी को दी जानी आवश्यक थी जो उसने नही दी, इस बाबत सूचना।

(च) उक्त सूचना ने देने के आधार पर दोषी होने के कारण निर्वाचन नियमों की भंगीमा का दण्डनीय अपराधीन है। इस बाबत सूचना व नियम की प्रमाणित प्रतिलिपि।

(छ) टाईपींग इन्स्टीटयूट का नाम व प्रमाण पत्र की वह सरकार द्वारा रजिस्टर्ड मान्यता प्राप्त है इस बाबत सूचना व प्रमाणित प्रतिलिपि।

(ज) विद्यार्थी का नाम व उसके हस्तलिपि पत्र कि वह विद्यर्थी है। विद्यार्थी होने का प्रमाण पत्र की सूचना व प्रमाणित प्रतिलिपि।

(झ) इस्तगासा में प्रस्तुत समस्त दस्तावेज राजकीय अभिभाषक से सलाह मशविरा करके पेश किये है व सुसंगत है। समस्त दस्तावेजात इस तथ्य को संबंधित अधिकारी का शपथ पत्र की सूचना।

10. इस्तगासा के साथ प्रस्तुत किये गये दस्तावेजो की प्रमाणित प्रतिलिपि व इस्तगासा के तथ्यों से ही संबंधित है किसी अन्य से नही इस बात की सूचना।

अपीलार्थी ने यह अपील इस आधार पर प्रस्तुत की है कि उसके द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत आवेदन पत्र दिनांक 14.01.15 के द्वारा चाही गई 10 बिन्दुओ की सूचना लोक सूचना अधिकारी द्वारा जनबूझकर उपलब्ध नही करवाई गई हैं, जो उसे उपलब्ध करवाए जाने का आदेश दिया जावे एवं लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना उपलब्ध न करवाये जाने के कारण उनके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावे एवं उन पर 25000 रूपये का जुर्माना लगाया जावे।

अपीलार्थी के अपील पत्र पर निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी (एसडीएम) श्रीगंगानगर ने अपना प्रतिवेदन सं0 206 दि0 04.03.2016 प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि अपीलार्थी द्वारा चाही गई बिन्दूवार सूचना उनके कार्यालय के पंजिकृत पत्र 166 दिनांक 09.02.2016 के द्वारा समय पर उपलब्ध करवा दी गई थी।

निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी (एसडीएम) श्रीगंगानगर ने अपने पत्र सं0 166 दिनांक 09.02.2016 से अपीलार्थी को निम्न प्रकार से उत्तर प्रेषित किया गया हैः—

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

P.T.O.

जिला कलेक्टर श्रीगंगानगर 27/2016

आप द्वारा चाही गई उपरोक्त सूचना के संबंध में लेख है कि:–

बिन्दू संख्या 1 से 10 के तहत चाही गई सूचना के संबंध में आपको अवगत करवाया जाता है कि सूचना अन्वेक्षण कर, ढूंढकर नये प्रारूप में चाहने की श्रेणी में आती है। राजस्थान सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2च में सूचना से तात्पर्य किसी भी स्वरूप में कोई भी सामग्री इसमें किसी भी इलेक्ट्रोनिक्स रूप में धारित अभिलेख, दस्तावेज, ज्ञापन, ईमेल, मत, सलाह, प्रेस विज्ञप्ति, परिपत्र, आदेश, लॉगबुक, संविदा, रिपोर्ट, कागजपत्र, नमूने, मॉडल, आंकड़ो संबंधी सामग्री शामिल है। लोक सूचना अधिकारी द्धारा सूचना सृजित करना या सूचना की व्याख्या करना एवं ऐसे खोजे गये तथ्य आवेदक को उपलब्ध करवाना अधिनियम के कार्य क्षेत्र से बाहर है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2 एफ के अनुसार सूचना वही देय है जिस पर लोक सूचना अधिकारी की पहुंच हो अर्थात दूसरे शब्दो में सूचना वही देय है जो अभिलेखो में उपलब्ध हो।

अतः आपको सूचित किया जाता है कि आप कार्यालय में उपलब्ध अभिलेखो का निरीक्षण कर किसी दस्तावेज की प्रमाणित प्रतिलिपि हेतू आवेदन कर सकते है।

अपीलार्थी के आवेदन पत्र के अवलोकन से पाया गया कि अपीलार्थी द्वारा बिन्दु सं0 1 से 10 तक की जो सूचनांए चाही गई है वह कोई निश्चित व स्पष्ट सूचना नही है और प्रश्नात्मक रूप में है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2(एफ) के अनुसार सूचना वही देय है जिस पर लोक सूचना अधिकारी की पहुंच हो अर्थात दूसरे शब्दो में सूचना वही देय है जो निश्चित अभिलेखो के रूप में उपलब्ध हो और प्रश्नात्मक रूप में नही होनी चाहिए। सूचना के रूप में प्रत्यर्थी न तो नई सूचना बना सकते है और न ही वे स्वयं का मत दे सकते है। **लोक सूचना अधिकारी से यह अपेक्षित है कि वह आवेदक को सामग्री उसी रूप में प्रदान करे जिस रूप में लोक प्राधिकरण के पास उपलब्ध है। सामग्री में से कुछ तथ्यों को खोजकर नागरिक को ऐसे खोजे गये तथ्यो को प्रदान करना लोक सूचना अधिकारी का काम नही है। इस अधिनियम के प्रावधानो के अन्तर्गत किसी लोक अधिकारी को किसी भी कार्य को किसी विशेष तरीके से करने या न करने के आदेश/निर्देश नही दिये जा सकते। सूचना का अधिकार अधिनियम में प्रदत्त "सूचना" का अर्थ विभिन्न स्वरूपों में उपलब्ध सूचना तक सीमित है तथा जिस स्वरूप में सूचना उपलब्ध है उसी रूप में उसे प्रदान किया जा सकता है। सूचना के रूप में कोई सुझाव देना किसी परिवेदना के निवारण के लिए प्रार्थना करना अथवा किसी नियम या सामग्री के बारे में स्पष्टीकरण या उसकी व्याख्या प्राप्त करने की कोई गुंजाईश नही है। इस प्रकार निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी (एसडीएम) श्रीगंगानगर द्वारा अपीलार्थी को दिया गया उक्त उतर दिनांक 09.02.2016 सही है फिर भी** सूचना अधिकार अधिनियम की भावना को ध्यान में रखते हुए **निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी (एसडीएम) श्रीगंगानगर** को आदेश दिया जाता है कि वे अपने कार्यालय में **उपलब्ध अभिलेख के निरीक्षण हेतू आदेश प्राप्ति से 15 दिवस की तिथी नियत कर अपीलार्थी को सूचित करे** और उस नियत तिथि पर अपीलार्थी को अभिलेख का निरीक्षण करवाया जावे और अपीलार्थी उपलब्ध अभिलेख में से जो भी सूचना लेना चाहे वह उसे नियमानुसार उपलब्ध करवा दी जावे। आदेश की प्रति लोक सूचना अधिकारी एवं निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी (एसडीएम) श्रीगंगानगर को पालनार्थ भेजी जावे। आदेश की प्रति अपीलार्थी को भी भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो।

238-3 / 25-1-17

आदेश आज दिनांक 09.01.2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

ज्ञाना

(ज्ञाना राम)

जिला कलेक्टर

श्रीगंगानगर